

13/2/23

पञ्जाबी पेश डूमी वकील याचक उप. है
 वकील का वार 0925 काडी में खारिज
 किया जा चुका है इसीलिए अब ए2
 याचक का कोई कोचिजल जोष नहीं
 रहे जा रहा है पञ्जाबी के सम शुभा
 होकर ए2 नर (ए2 का ही आदेश)
 शुभा-याचक को सुनाया जाय



उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेख

